[2009] 6 एस.सी.आर. 289

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

पोरसेल्वी एवं एक अन्य

(2009 की दीवानी अपील सं. 2170)

2 अप्रैल, 2009

[डॉ. अरिजित पसायत तथा अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

प्रतिकर हेतु दावा — बीमाकर्ता का दायित्व — बीमा आच्छादन में उस तिथि का उल्लेख, जिससे वह प्रभावी होगा — उच्च न्यायालय द्वारा बीमाकर्ता को इस आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाना कि दुर्घटना उसी दिन हुई थी जिस दिन आच्छादन जारी किया गया था — अभिनिर्धारित किया गया : उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति पर विचार न किए जाने के कारण, मामला विधि के अनुसार पुनः विचार हेतु उसे प्रत्यावर्तित किया गया।

वर्तमान अपील में, जिसे बीमाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए संस्थित किया गया, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उसे इस आधार पर उत्तरदायी ठहराने में त्रुटि की कि दुर्घटना उसी दिन हुई थी जिस दिन आच्छादन स्वयं जारी किया गया था अर्थात् 28.5.1996 को । यह प्रस्तुत किया गया कि आच्छादन नोट स्पष्ट रूप से इंगित करता था कि पॉलिसी 29-5-1996 से 28-5-1997 तक वैध थी।

अपील स्वीकार करते हुए तथा मामले को उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : चूँकि तथ्यात्मक स्थिति के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, अतः उसके द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। उच्च न्यायालय विधि के अनुसार मामले पर पुनः विचार करेगा। [कंडिका 6] [291-एफ-जी]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सीता बाई (श्रीमती) एवं अन्य **(1999) 7 एस.सी.सी. 575 — अवलंबित।**

वाद विधि संदर्भ :

(1999) 7 एस.सी.सी. 575 अवलंबित कंडिका 5

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की दीवानी अपील सं. 2170।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.ए. सं. 415/2001 में पारित दिनांक 22.12.2006 के निर्णय एवं आदेश से।

एस. पॉल, ए. गुप्ता, के.के. भाट, एस.एन. बुंदेला तथा एम.जे. पॉल, अपीलकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया द्वारा :

डॉ. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 173 के अधीन संस्थित अपील को निरस्त कर दिया गया।

3. तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है तथा एकमात्र विवाद पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात् वह तिथि जिससे पॉलिसी प्रभावी हुई, से संबंधित है। दुर्घटना 28.5.1996 को हुई। पॉलिसी 29.5.1996 से 28.5.1997 तक की अवधि को आच्छादित करती है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय की कंडिका 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

> "चूँकि आच्छादन नोट 28.5.1996 को ही जारी कर दिया गया था, जिसका उल्लेख प्रदर्श बी-1, पॉलिसी में भी है, अतः अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता पर दायित्व आरोपित करने का निष्कर्ष विकृत नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, इस अपील में कोई गुण नहीं है। प्रतिकर की मात्रा को अपीलकर्ता — बीमा कंपनी द्वारा विवादित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, दीवानी विविध अपील विफल होती है और निरस्त की जाती है।"

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आच्छादन नोट की ओर आकर्षित किया, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पॉलिसी 29.5.1996 से 28.5.1997 तक

वैध थी, यद्यपि वह 28.5.1996 को जारी की गई थी। पॉलिसी की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई। उसका सुसंगत भाग निम्नानुसार है :

> "अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमा प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि, दिनांक 29.5.1996 को 0 बजे से लेकर 28.5.1997 की मध्यरात्रि तक।"

5. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशीय पीठ ने *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सीता बाई (श्रीमती) एवं अन्य* [(1999) 7 एस.सी.सी. 575] में अन्य बातों के साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

> "6. *राम दयाल वाद* [(1990) 2 एस.सी.सी. 680] में दिए गए निर्णय की शुद्धता तथा प्रयोज्यता बाद में इस न्यायालय के समक्ष अनेक वादों में विचारार्थ आई। *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम भगवती देवी* [(1998) 6 एस.सी.सी. 534] में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशीय पीठ ने *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जिकुभाई नाथूजी डाभी* [(1997) 1 एस.सी.सी. 66] में व्यक्त दृष्टिकोण पर अवलंबन किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई विशेष अनुबंध हो, जिसमें पॉलिसी में उसके क्रय किए जाने का समय उल्लिखित हो, तो बीमा पॉलिसी उसी समय से प्रभावी होगी और पूर्ववर्ती मध्यरात्रि से नहीं, जैसा कि राम दयाल वाद में स्थिति थी जहाँ वह समय उल्लिखित नहीं था जिससे बीमा पॉलिसी प्रभावी होनी थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि इसके विपरीत कोई अनुबंध न हो, तो बीमा पॉलिसी पूर्ववर्ती मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाती है, जब उसे अगले दिन खरीदा गया हो; किन्तु उन मामलों में जहाँ पॉलिसी के क्रय का विशिष्ट समय उल्लिखित हो, वहाँ एक विशेष अनुबंध अस्तित्व में आता है और पॉलिसी आच्छादन नोट/पॉलिसी में उल्लिखित समय से प्रभावी हो जाती है। जिकुभाई वाद के निर्णय का तत्पश्चात इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशीय पीठ द्वारा *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी* [(1998) 1 एस.सी.सी. 365] में भी अनुसरण किया गया।"

6. चूँकि उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, अतः हम आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हैं तथा मामले को विधि के अनुसार नवीन विचार हेतु प्रत्यावर्तित करते हैं।

7. अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

आर.पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।